

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फ्रमांक: एफ4 (12)आकाशि / नि.सं. / 16 / 134

दिनांक: २९-२-१६

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है: -


संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940 सेक्टर- 4 हिरण मगरी, उदयपुर।	महावीर महाविद्यालय, 554 / 1, बड़गांव-भीणडर रोड, कीर की चौकी, भीणडर, उदयपुर।	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- बी.ए- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल। बी.कॉम-ए, बी.एस.टी., व्यवसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम।

- संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार तथ्य की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मापदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि लूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यतावाही प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था साखियकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोवरिंग एवं रेजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशीक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं भोवाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2016-17 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी। उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मां उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, उदयपुर।
 - कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
 - सांखियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रवित पत्रावली।
५. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।


निर्वाचित-निदेशक (नि०सी०)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 4 (12) आकाशी / नि.रा./ 2016 / ५२७

आदेश

दिनांक:- ३०.६. २०१७

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2017-18 से 2019-20(तीन रात्र) के लिए रात्रकाल संकाय/विषय विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ रवीकृत किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन आंचलिक संकाय/विषय
महावीर कॉलेज, भीणडर, उदयपुर	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय- विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चन्द्रस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, भूगोल, गणित, गीवीए, वीसीए, वीएससी-गणिती

- संस्था सत्र 2020-21 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करेगी।
- रात्रकाल सम्बन्धित विश्वविद्यालय रो सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि प्रकरण में बी०री०आई० से नान्यता य विश्वविद्यालय रो संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार शीटों का आंचलिक विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा एवं तथा नहाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथा सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण एवं प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन(विभाग द्वारा तय गानदण्डानुसार) का निर्गाण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निररत किया जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित राक्षम रथानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानविक्री के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यू.जी.सी. योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक रटाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय रो स्टॉफ को अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकता अनुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थार्यः जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- रात्रकाल सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगा।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dee.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.री.सी./रोयरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक साहीकारी गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करकर DCF-II (Data Capture format) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard Copy आगामी 15 दिवस में आमुवतालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, अतिरिक्त मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल संचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

१८८
मयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

फ्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./2016/ 981

दिनांक: 13/04/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी हालिक सम्पत्ति अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सब 2021-22 से रानातक स्तर पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्थीरत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध किश्वविद्यालय	संकाय/विषय
महावीर जैन विद्यालयडगाव, भीण्डर रोड, उदयपुर। संख्या: 940. नं 554/1, 554/1/1, मार्गशीर्ष संकटर 4554/1/1/3-9400.35 बगमीटर उदयपुर	महावीर कॉलेज, कीर की चौकी। विद्यालयडगाव, भीण्डर रोड, उदयपुर। नं 554/1, 554/1/1, बगमीटर 4554/1/1/3-9400.35 बगमीटर उदयपुर	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	अनिवार्य विषयों सहित रानातक स्तर पर कला संकाय— हिन्दी साहित्य इतिहास, अंग्रेजी सां. संस्कृत राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र।

- संस्था प्रत्येक सात्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रक्षुल करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी परं यह महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को राज्य-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- राज्य संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विभि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० तो मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्प्रथात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- संस्था को दो वर्षों की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा राज्यविभाग (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अव्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अंतीक्षिणी प्राचार्य एवं व्याख्यालाओं राथा निर्धारित मानदण्डानुसार अंशकाणिक स्टाफ की नियुक्ति के राज्य-समय अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को जीमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय राहायता नहीं देगी।
- राज्य संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यक विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथ संख्या गीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाट में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय का रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र ती इड कीपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालन नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा/राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री भट्टोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल संचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावानी।

संयुक्त-निदेशक नि०सं०
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

lal



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpicce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (112)आकाशि/नि.सं./2016/

१७२२

दिनांक:-

०६/१/२०२३

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
महावीर जैन विद्यालय संस्थान, ९४०, हिरण्यगढ़ी, मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर।	महावीर कॉलेज, कीर की चौकी, बड़गांव, भीष्णुर रोड, उदयपुर।	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर इम.ए- हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर औंनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांखियकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संबंधन हेतु NAAC से प्रत्याधन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशोकार्थिक रटाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयदार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सुचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

६१

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल संचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- सांखियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

रमेश
संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर